प्रेस विज्ञप्ति

09.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बैंगलोर आंचलिक कार्यालय ने 04/09/25 को माननीय तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीएमएलए, 2002, मैंगलोर, डी.के. की अदालत में 17 आरोपियों के खिलाफ एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है। यह शिकायत कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी), धारवाड़ में हुए दोहरे मुआवज़े घोटाले के संबंध में है। यह मामला वीडी सज्जन और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है। यह घोटाला वीडी सज्जन (सेवानिवृत्त विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, धारवाड़) द्वारा अन्य आरोपियों के साथ मिलीभगत करके किया गया था। जाँच के दौरान मामले में कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और वर्तमान में, वे सभी पीएमएलए, 2002 के तहत न्यायिक हिरासत में हैं।

इस मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत जाँच से पता चला है कि आरोपियों ने केआईएडीबी से धोखाधड़ी से दोहरा मुआवज़ा लेने और निकालने के लिए एक चालाकी भरी कार्यप्रणाली अपनाई, जिसमें उन लोगों के नाम पर भी मुआवज़ा प्राप्त किया गया था या जिनकी मृत्यु हो चुकी थी या जो मुआवज़ा पाने के लिए अयोग्य थे।

ईडी की जाँच से पता चला है कि आरोपियों ने अलग-अलग व्यक्तियों के आधार विवरण को धोखाधड़ी से अपडेट करके फर्जी पहचान पत्र बनाए। बनाई गई इन फर्जी पहचान पत्रों का इस्तेमाल बैंक खाते खोलने के लिए किया गया, जिसके ज़रिए अपराध की आय (पीओसी) को शोधित किया गया।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि केआईएडीबी, धारवाड़ में 19.9 करोड़ रुपये के 7 धोखाधड़ी वाले लेनदेन से संबंधित एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। हालांकि, पीएमएलए जांच में कुल 64.48 करोड़ रुपये के 29 धोखाधड़ी वाले लेनदेन का पता चला। इसका विवरण पीएमएलए, 2002 की धारा 66(2) के तहत अनुसूचित अपराध की जांच कर रहे एलईए के साथ साझा किया गया है।

इस बीच, ईडी ने इस मामले में अब तक 13 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति कुर्क की है। इससे पहले, इस मामले में 22 आरोपियों के खिलाफ तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीएमएलए, 2002, मंगलुरु, डी. के. की अदालत में नवंबर 2024 में अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी।

आगे की जाँच जारी है।